झारखण्ड़ राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्
JHARKHAND STATE POLLUTION CONTROL BOARD
T.A Division Building (Ground Floor) HEC Campus, Dhurwa, Ranchi- 834004.
Phone No:-0651- 2400852, 2400851, Fax No:- 2400850..

पत्रांक .... राँची, दिनांक..................

प्रेषक,

एस०के० सिन्हा
सदस्य सचिव।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग,
झारखण्ड सरकार,
राँची।

विषयः **झारखण्ड़ राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् का प्रतिमा विसर्जन तथा ध्वनि प्रदूषण के सम्बन्ध में सूचना के प्रकाशन के सम्बन्ध में**

महाशय,

उपयुर्क्त विषय के प्रसंग में इस पर्षद से संबंधित संलग्न सूचना को निम्नलिखित समाचार पत्रों में जो जो समस्त झारखण्ड मे पढ़ा जा सके, दर्शाये गये तिथि के अनुसार डी०ए०भी०पी० दर पर प्रकाशन कराया जाय। विज्ञापन सामग्री की एक सॉफ्ट कॉपी भी पत्र के साथ संलग्न की जा रही है।

1. प्रभात खबर, झारखण्ड संस्करण –	एक दिन प्रकाशन	तिथि 02.10.2011
2. हिन्दुस्तान टाईम्स, झारखण्ड संस्करण--	एक दिन प्रकाशन	तिथि 02.10.2011
3. दैनिक भास्कर झारखण्ड संस्करण--	एक दिन प्रकाशन	तिथि 02.10.2011
4. दैनिक जागरण, झारखण्ड संस्करण--	एक दिन प्रकाशन	तिथि 02.10..2011

कृपया दर्शाये गये तिथि को (प्रथम एव अंतिम पृष्ट को छोडकर) न्यूनतम आकार में उपरोक्त दैनिक समाचार पत्र मे प्रकाशन सुनिश्चित कराने की कृपा की जाय। विज्ञापन प्रकाशन के पश्चात् विज्ञापित सामग्रियों की दो दो प्रति विपत्र के साथ संलग्न कर भुगतान हेतु प्रस्तुत करने का कष्ट करें। विज्ञापन का भुगतान डी०ए०भी०पी० दर पर किया जायेगा।

विश्वासभाजन,
ह0/–
(एस०के० सिन्हा)
सदस्य सचिव

अनु0 यथोपरि।

ज्ञापांक......................
राँची, दिनांक 1.X.11

प्रतिलिपिः लेखाशाखा, मुख्यालय राँची/वेबसाईट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(एस०के० सिन्हा)
सदस्य सचिव

Oadit Pub Hearing\43

झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्

JHARKHAND STATE POLLUTION CONTROL BOARD

T.A Division Building (Ground Floor) HEC Campus, Dhurwa, Ranchi- 834004.

Phone No:-0651- 2400852, 2400851, Fax No:- 2400850..

प्रतिमा विसर्जन तथा ध्वनि प्रदूषण के सम्बन्ध में सूचना

दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर नदियों, तालाबों को प्रदूषण मुक्त रखने हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, नई दिल्ली द्वारा निरूपित **"मूर्ति विसर्जन हेतु दिशा निर्देश"** को जनहित में समस्त झारखण्ड वासियों के सूचनार्थ प्रकाशित की जा रही है :–

1– मूर्त्ति का रंग रोगन प्राकृतिक रंग से किया जाय।

2– मूर्त्ति विसर्जन के पूर्व पूजा सामग्री तथा फूल, वस्त्र, कागज, प्लास्टिक एवं अन्य सामान हटा लिये जाएं एवं इसका उचित स्थान पर निस्सारण किया जाय।

3– मूर्त्ति विसर्जन स्थल को पूर्व में चिन्हित एव बैरिकेटिंग कर लिया जाय एवं मूर्त्ति विसर्जन के उपरात बॉस, लकडी आदि को चुन कर जल से बाहर निकाल कर पुनः उपयोग मे लाया जाय।

4– एक ही तालाब/पोखर आदि में अधिक मूर्त्ति विसर्जित नहीं किया जाय।

5– मूर्त्ति विसर्जन के उपरान्त अपशिष्ट वस्तुओं को जलाया नहीं जाय।

उक्त दिशा निर्देश विस्तृत रूप से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के वेवसाईट cpcb.nic.in पर भी उपलब्ध है।

साथ ही अनुरोध है कि **ध्वनि प्रदूषण (नियमन एवं नियंत्रण) नियमावली, 2000** का अनुपालन करते हुए बगैर सक्षम प्राधिकार की अनुमति के लाउडस्पीकर नहीं बजाया जाय। रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक सार्वजनिक स्थल पर लाउडस्पीकर का पयोग न करें, क्योंकि यह दंडनीय है।

ध्वनि प्रदूषण (नियमन एवं नियंत्रण) नियमावली, 2000 में निर्धारित परिवेशीय ध्वनि स्तर जो निम्न प्रकार के हैं, उसका सरक्षण करना है :–

एरिया कोड	एरिया/जोन का श्रेणी	ध्वनि अधिसीमा (डेसीबल) में	
		दिन	रात
ए–	औद्योगिक प्रक्षेत्र	75	70
बी–	व्यवसायिक प्रक्षेत्र	65	55
सी–	आवासीय प्रक्षेत्र	55	45
डी–	शान्त प्रक्षेत्र	50	40

1. दिन से अभिप्राय है सुबह 6 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक
2. रात्रि से अभिप्राय है रात्रि 10 बजे से सुबह 6.00 बजे तक
3. शान्त प्रक्षेत्र से तात्पर्य है अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, न्यायालय, धार्मिक स्थल आदि से कम से कम 100 मीटर अथवा सक्षम प्राधिकार द्वारा घोषित।

एतद द्वारा राज्य के समस्त प्रबुद्ध नागरिकों को सूचित किया जाता है कि वे प्रतिमा विसर्जन के दौरान उपयुर्क्त दिशा निर्देशों का अनुपालन करें।

जल श्रोतों को प्रदूषण मुक्त रखने तथा ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रण में रखने हेतु **झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद** को अपना बहुमूल्य सहयोग दें।

ह0/–
(संजय कुमार सिन्हा)
सदस्य सचिव

ह0/–
(अरूण कुमार सिंह)
अध्यक्ष

Oadir MS\P-300